



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
 (A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

ई-मेल / Mail : registrar@mgahv.in

क्रमांक : 006/Estt./A.R.C./2023/30/ 23

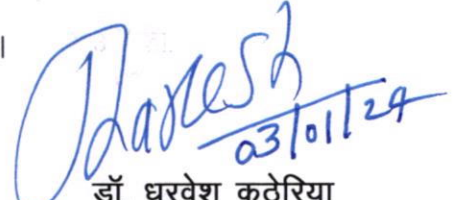
दिनांक : 03/01/2024

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालयादेश 003/2003/का.आ./02-63/2022, दिनांक 06.05.2022 के क्रम में रैगिंग विरोधी दल (Anti Ragging Squad) का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:

- | | |
|--|----------------|
| 1. कुलानुशासक | : नोडल अधिकारी |
| 2. मुख्य छात्रावास अधीक्षक (Chief Warden) | : सदस्य |
| 3. डॉ. के. बालाराजु, एसोशिएट प्रोफेसर | : सदस्य |
| 4. डॉ. रवि कुमार, सहायक प्रोफेसर | : सदस्य |
| 5. डॉ. संदीप कुमार वर्मा, सहायक प्रोफेसर | : सदस्य |
| 6. डॉ. विधु खरे दास, सहायक प्रोफेसर | : सदस्य |
| 7. डॉ. अख्तर आलम, सहायक प्रोफेसर | : सदस्य |
| 8. डॉ. रूपेश कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर | : सदस्य |
| 9. डॉ. कृष्ण चंद्र पाण्डेय, सहायक प्रोफेसर | : सदस्य |
| 10. डॉ. अभिलाष कुमार गोंड, सहायक प्रोफेसर | : सदस्य |
| 11. सहायक कुलसचिव, क्रय एवं भंडार विभाग | : सदस्य सचिव |

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।


 डॉ. धरवेश कठेरिया
 (कुलसचिव)

प्रति (ईमेल द्वारा): उपर्युक्तानुसार सभी संबंधित।

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

- कुलपति कार्यालय
- समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक
- अकादमिक निदेशक : क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
- प्रभारी : क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
- प्रभारी : सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धिपुर, अमरावती
- कुलसचिव कार्यालय
- वित्ताधिकारी कार्यालय
- परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
- लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- रक्षित पत्रावली।